खेतायों में दर्ज है तथा निर्मल को प्रतिवादी पक्षकार किस रूप में संयोजित किया गया है का उल्लेख वादी द्वारा वाद पत्र में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है जबकि सहखातेदार हाबुड़ी का प्रतिवादी निर्मल के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होने बाबत् कोई विधिक दस्तावेज भी वादी द्वारा वाद पत्र में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी के हक बंट में विवादग्रस्त खेतायों में से किसी प्रकार की भूमि नहीं रखने का क्या औचित्य है यह वादी की सम्पूर्ण हक भूमि बाले बाले बदनियति से अपने हक में करवाना जाहिर करता है इसलिये बिना किसी विधिक कारण के किसी खातेदार को उसके हक अधिकार की भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता जिसके संबंध में राजपेरोकार ने दोहराने बहस दी गई दलीलों में बताया। इसलिये यह तनकी भी वकील वादी के विरूद्व तय की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीयात के बिन्दुओं में से तनकी संख्या 1 में खातेदार आईदानराम के नाम विवादग्रस्त खेत खातेदारी में दर्ज होने की पुष्टि होती है जो कि वादी सुरजाराम के पिता तथा प्रतिवादी निर्मल के नाना (हाबुड़ी के पिता) प्रमाणित है। जो भी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में प्रतीत होती है इसके अलावा शेष तीनों तनकीयात के बिन्दु वकील वादी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है इसलिये उक्त वाद प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है तथा वादी सुरजाराम के पिता आईदानराम एवं प्रतिवादी निर्मल की माता हाबुड़ी के विधिक उतराधिकारी को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप खारिज योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं होने से तथा वादी सुरजाराम के पिता आईदानराम एवं प्रतिवादी निर्मल की माता हाबुड़ी के विधिक उतराधिकारी को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner